

प्रश्नपत्र लीक कर पीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था को किया शर्मसार

परीक्षा नियंत्रक और दो आरोपी की जमानत खारिज



हरिभूमि न्यूज ►► बिलासपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में परीक्षा नियंत्रक और दो आरोपी टामन सिंह के भतीजों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तीनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इनमें से एक पीएससी के परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यरत थे, जबकि दो पर गलत तरीके से चयनित होने का आरोप है। जस्टिस बिभू दत्त गुरु ने कहा, 'जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करता है, वह लाखों युवाओं के भविष्य से खेलता है, यह कृत्य हत्या से भी गंभीर है। प्रश्नपत्र लीक कर पीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था को शर्मसार किया गया है।

ऑनलाइन सट्टा एप की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर

छत्तीसगढ़ समेत देशभर में ऑनलाइन सट्टा एप की बढ़ती गतिविधियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को शीर्ष अदालत ने अन्य संबंधित मामलों के साथ जोड़ते हुए ट्रांसफर कर लिया है। राज्य में पिछले कुछ समय से

ऑनलाइन सट्टा एप, खासकर बहुचर्चित महादेव सट्टा एप को लेकर कई आपराधिक और राजनीतिक मामले दर्ज हैं। इसी के खिलाफ दायर जनहित याचिका दायर की गई है।